असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

30 नवम्बर, 2018

षोडश विधान-सभा 30 नवम्बर, 2018 ई0

---------- शुक्रवार, तिथि ----------

एकादश सत्र 09 अग्रहायण, 1940 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वा0)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-7 (श्री अनिल सिंह)

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, सरकार जिन गरीबों को उजाड़ रही है तो क्या सरकार उनको बसाने की व्यवस्था करना चाहती है....

अध्यक्षः तो इसका मतलब है कि प्रश्नकाल नहीं चले ?

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्रः चले या नहीं चले, हम यहां आए हैं जनता के सवाल को लेकर, हम सदन चलाना चाहते हैं लेकिन सरकार के मुखिया नहीं हैं, सदन के नेता नहीं हैं । यह कितना गंभीर है, यह आप ही बतलाइए ?

अध्यक्षः भाई वीरेन्द्र जी, यही बात...

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्षः सुनिये न, मंत्री जी क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, यहां पूरी सरकार बैठी है और मैं तो चुनौती देता हूं उनको कि जो प्रश्न लाना चाहते हैं, नियमानुकूल लावें । सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है । इनको हिम्मत है तो बहस के लिए सवाल लावें ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यण वेल में आ गये)

ये नियमानुकूल सवाल को लावें, सरकार बहस के लिए तैयार है महोदय लेकिन ये बहस नहीं चाहते हैं । कल आपदा पर बहस हो रही थी महोदय । इसी तरह से सदन से ये लोग बाहर चले गए । इतना महत्वपूर्ण विषय पर कल बहस थी और सदन में एक शब्द भी नहीं बोले । राज्य की जनता की चिन्ता इनको नहीं है । इनको चिन्ता है माईलेज लेने की, अखबार में छपने की, मीडिया में जाने की चिन्ता है इनको । राज्य की जनता की चिन्ता इनके पास नहीं है महोदय । ये सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं । यह

सिर्फ दिखावा है इनका । इससे इनका काम चलने वाला नहीं है । इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा । बिहार की जनता देख रही है इनको ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की बैठक 11.02 बजे पूर्वाह्न में स्थगित हुई)

टर्न-2/मधुप/30.11.2018

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।
माननीय उप मुख्यमंत्री ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में मैं, बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गए ।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सदन चलने दीजिए ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : उप मुख्यमंत्री ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए ।)

(व्यवधान)

आपलोगों का ही गैर सरकारी संकल्प है ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र''

को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में द्वितीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

याचिकाओं का उपस्थापन

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-267 के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 58 याचिकाएँ प्राप्त हुई हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप ही लोगों का गैर सरकारी संकल्प है । गैर सरकारी संकल्प भी नहीं होना है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये गैर सरकारी संकल्प भी नहीं लेने दे रहे हैं ।

गैर सरकारी संकल्प

अध्यक्ष : श्री मो0 नेमतुल्लाह । श्री मो0 नेमतुल्लाह ।

(व्यवधान)

अब सभा की कार्यवाही 4:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की बैठक 2.04 बजे अप0 में स्थगित हुई)

टर्न–3/आजाद/30.11.2018

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

समापन भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

षोडश बिहार विधान सभा का एकादश सत्र दिनांक 26 नवम्बर, 2018 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल–05 बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को माननीय मंत्री वाणिज्य–कर विभाग द्वारा बिहार विधान सभा के समक्ष महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । षोडश बिहार विधान सभा के दशम् सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 05 (पांच) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । सभा सचिव द्वारा विशेष न्यायालय सी0बी0आई0 रांची के पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री मोहम्मद इलियास हुसैन, स०वि०स० के निरर्हित होने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया । माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल–11 (ग्यारह) जननायकों के निधन पर शोक–प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को माननीय मंत्री, कृषि विभाग द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर के वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन द्वारा बिहार राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2015–16 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग का वर्ष 2016–17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी

दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के कुल 163 अनागत तारांकित प्रश्नोत्तर की मुद्रित प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''राज्य का वित्त'' तथा ''राजस्व प्रक्षेत्र'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री वाणिज्य-कर विभाग द्वारा बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा-22(3) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-182, दिनांक 25.05.2018 की प्रति एवं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् निर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित आपदा प्रबंधन विभाग के अनुदान की मांग स्वीकृत हुई तथा शेष मांगें गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में द्वितीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

(1) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018.
(2) बिहार औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018.
(3) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018.

सत्र के दौरान कुल-710 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 558 प्रश्न स्वीकृत हुए । स्वीकृत प्रश्नों में 10 अल्पसूचित, 490 तारांकित एवं 58 प्रश्न अतांराकित थे । इन प्रश्नों में एक प्रश्न का उत्तर सदन में हुआ । शेष 557 प्रश्न अनागत हुए । इन अनागत प्रश्नों में से 300 प्रश्नों के उत्तर ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त हुए और यह ऑनलाईन उपलब्ध हैं, जिसे माननीय सदस्य देख सकते हैं ।

इस सत्र में कुल-126 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई तथा 46 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 72 सूचनाएं अस्वीकृत हुई ।

इस सत्र में कुल-137 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 132 स्वीकृत हुए एवं 05 अस्वीकृत हुए । कुल-87 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 58 स्वीकृत एवं 29 अस्वीकृत हुई।

इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाही की रिकॉर्डिंग भी की गयी । इससे जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं ह्रदय से आभारी हूं । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की बैठक 4.09 बजे अप0 में स्थगित हुई)

.....